रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 243] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, सितम्बर 28, 1972/आश्विन 6, 1894

No. 243] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 28, 1972/ASVINA 6, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September 1972

G.S.R. 420(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Former Secretary of State Service Officers (Conditions of Service) Act, 1972 (59 of 1972), the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 1972, as the date on which the said Act shall come into force.

[No. 14/27/72-AIS(II).]

SHRAVAN KUMAR, Jt. Secy.

मंत्रीमंडल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1972

सा० का० नि० 420 (अ).—भूतपूर्व सेक्रटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1972 (1972 का 59) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा, पहली अक्टूबर, 1972 को, उक्त अधिनियम के लागू होने की तारीख के रूप में नियत करती है ।

[सं० 14/27/72-अ०भा०से० (2)]

श्रवण कुमार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972